न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी0 सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
158/प्रा0पत्र/2024	04.03.2024	29.05.2024

पूर्णिमा गोयल उम्र 63 वर्ष पत्नि श्री अरविन्द गोयल जाति महाजन निवासी 15-ए कमल द्वार, सोफिया स्कूल के पास, वल्लभनगर कोटा, न्यू ग्रीन मण्डी कोटा जिला कोटा राजस्थान।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थीः- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थीः- पेरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 एलआर एक्ट

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया। जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारी कृषि भूमि ख0स0 226 रकबा 1.8094 है0, ख0स0 476/226 रकबा 0.3157 है0 हिस्सा 1/6 ख0स0 419/224 रकबा 0. 1457 है0, ख0स0 477/226 रकबा 0.6475 है0, ख0स0 546/225 रकबा 0.6637 है0 हिस्सा सम्पूर्ण, ख0स0 223 रकबा 1.2626 है0, हिस्सा 2/5, ख0स0 420/224 रकबा 0. 9389 है0, ख0स0 547/225 रकबा 0.7932 है0 हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान में विस्थित है। उक्त वाद वर्णित भूमि दिनांक 27.04.2015 को पृथक-पृथक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई। प्रारूपकर्ता ने संवहन से विक्रय पत्र के प्रारुप में पूर्णिमा गोयल पुत्र अरविन्द गोयल लिख दिया जबकि मेरे सभी दस्तावेजो में मेरा नाम पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल दर्ज है। प्रार्थीया अरविन्द गोयल का पुत्र नहीं पत्नि है। तहसीलदार तालेड़ा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी पर नामान्तरण दर्ज किया गया है, उसमें भी पूर्णिमा गोयल पुत्र अरविन्द गोयल दर्ज कर दिया, जो कि संवहन से टाईपिंग त्रुटि के कारण हुआ है। प्रार्थीया ने साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमाक 227 दिनांक 22.04. 2015, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रंमाक 228 दिनांक 22.04.2015, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रंमाक 1307 दिनांक 27.04.2015, नामान्तरण संख्या 733, 734 एवं 736 वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान, आधार कार्ड संख्या 552902660911, मतदाता पहचान पत्र संख्या एनडब्यूक्यू/1690130, पासपोर्ट क्रंमाक पी 5031643 पेश किए।यह कि एलआर एक्ट की धारा 136 में यह प्रावधान है कि यदि गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है तो प्रार्थीया के काबिज काश्त के आधार पर एवं दजस्तावेजो की जांच कर पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवाकर नाम शुद्धि करवाया जा सकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीया की काबिज स्थिति को देखते हुए एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल शुद्धिकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 1554 दिनांक 01.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थीया के नाम में संवहन से विक्रय पत्र में ही गलती हो जाने के कारण ग्राम लीलेड़ा चारणान के नामान्तरण संख्या 733, 734 एवं 736 में प्रार्थीया का नाम पूर्णिमा गोयल आ0 अरविन्द गोयल दर्ज हुआ। प्रार्थीया द्वारा पेश किए गए दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीया का नाम पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया पूर्णिमा गोयल की वाद वर्णित आराजी प्रार्थीया ने दिनांक 27.04.2015 को पृथक-पृथक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था तत्समय प्रारुपकर्ता ने संवहन से विक्रय पत्र के प्रारुप में पूर्णिमा गोयल पुत्र अरविन्द गोयल लिख दिया जबकि मेरे सभी दस्तावेजो में मेरा नाम पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल दर्ज है। प्रार्थीया अरविन्द गोयल का पुत्र नहीं पत्नि है जो कि टाईपिंग त्रुटि होने से अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत दुरुस्त योग्य होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त त्रुटि को शुद्ध कर पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में विक्रय पत्र में विक्रय पंजीयन करवाते समय प्रारुपकर्ता से सहवन से विक्रय पत्र प्रारूप में पुर्णिमा गोयल पुत्र अरविन्द गोयल लिख दिया गया था। जबकि प्रार्थिया का नाम पुर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल अंकित किया जाना था। रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार इसे संशोधित किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

बहस उभयपक्ष सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रंमाक 227 दिनांक 22.04.2015, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रंमाक 228 दिनांक 22.04.2015, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रंमाक 1307 दिनांक 27.04.2015, नामान्तरण संख्या 733, 734 एवं 736 वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान, आधार कार्ड संख्या 552902660911, मतदाता पहचान पत्र संख्या एनडब्यूक्यू/1690130, पासपोर्ट क्रंमाक पी 5031643 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा करवाये गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्वयं का नाम पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल के स्थान पर पूर्णिमा गोयल आ0 अरविन्द गोयल सहवन से अंकन किया गया है जबकि सही अंकन पुर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल किया जाना था। रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा एवं उपलब्ध रेकार्ड से यह प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र उपलब्ध दस्तावेज रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारी कृषि भूमि ख0स0 226 रकबा 1.8094 है0, ख0स0 476/226 रकबा 0.3157 है0 हिस्सा 1/6 ख0स0 419/224 रकबा 0.1457 है0, ख0स0 477/226 रकबा 0.6475 है0, ख0स0 546/225 रकबा 0.6637 है0 हिस्सा सम्पूर्ण, ख0स0 223 रकबा 1.2626 है0, हिस्सा 2/5, ख0स0 420/224 रकबा 0.9389 है0, ख0स0 547/225 रकबा 0.7932 है0 हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान में प्रार्थिया का नाम पुर्णिमा गोयल पुत्र अरविन्द गोयल के स्थान पर पूर्णिमा गोयल पत्नि अरविन्द गोयल संशोधित किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा